"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जून 2011—आषाढ़ 8, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (38).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23A) दिनांक 31-03-2011 के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :—

शुद्धिपत्र

उक्त अधिसूचना की हिन्दी प्रति के पंक्ति क्रमांक 3 में तथा अंग्रेजी प्रति के पंक्ति क्रमांक 4 में अंक "01-04-2006" के स्थान पर, अंक "30-03-2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन 01-04-2011 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2011

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (38), दिनांक 29-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 29th June 2011

NOTIFICATION

No. F-10/23/2011/CT/V(38).—The following corrigendum is being issued in respect of notification No. F-10/23/2011/CT/V(23 A) dated 31-03-2011, issued by the State Government in exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) :—

CORRIGENDUM

In the third line of Hindi version and forth line of English version of said notification the figure "01-04-2006" the figure "30-03-2006" shall be substituted.

2. This amendment shall be effect from 01-04-2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.